तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम की तामील
27/3/18	.... कुछ लाग .... उपस्थित / [illegible] उपस्थित दिनांक ...15/6/16... की पालना में पत्रावली प्रार्थी ...[illegible] / [illegible]... दिनांक ...11/5/18... को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	1224 / 7-5-18
11.5.18 1072/CAMP 3/5/18	[illegible] में पेश हुई। प. .... उपस्थित .... नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अत: पत्रावली दिनांक 16/5/18 को न्यायालय हाजा में पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
16/5/18	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित। प्रार्थी [illegible] पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। [illegible] पत्रावली [illegible] किया जाता है [illegible] [illegible] [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [signature] SDO	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या 3/ /16 व 03/01/2008

वउनवान

1. घीसा पुत्र प्रेमसुख जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा

तहसील कठूमर

प्रार्थी

बनाम

1. देवकीनन्दन पुत्र प्यारे जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा
2. दिनेश पुत्र प्यारे जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा
3. बलराम पुत्र प्यारे जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा
4. जगन्नाथ पुत्र विहारी जाति ब्राहमण निवासी भोजपुरा

तहसील कठूमर जिला अलवर

अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 जा0दी0

आदेश दिनांक 17.05.2018

अप्रार्थीयान देवकीनन्दन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र का निस्तारण श्रीमान अदालत द्वारा दिनांक 03.06.2015 को किया गया है जिसमें प्रार्थी को दखल दिलाये जाने व पत्थरगढी करने के आदेश दिये गये है। खसरा नम्बर 616, 618 ग्राम भोजपुरा की पैमाइस मुताविक पर्चा मौका की गई है। अप्रार्थीयान द्वारा अपनी आराजी की ना तो पैमाइस हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया और ना ही वक्त पैमाइस अप्रार्थीयान को वुंलाया गया। मौका पर्चा पर प्रार्थी के परिवार के लोगों के ही हस्ताक्षर है अन्य किसी के हस्ताक्षर नहीं है। पैमाइस रिपोर्ट बनावटी है। पैमाइस रिपोर्ट में खसरा नम्बर 616 की 5 गट्ठा एंव 1 गट्ठा जमीन खसरा नम्बर 616 में दबी बताई गई है जवकि पैमाइस के साथ बनाये नक्शे में खसरा नम्बर 618 में दबी हुई बताई गई है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 618 में बृजलाल पुत्र रामखिलाडी का 1/3 हिस्सा है जो प्रार्थना पत्र में

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

अंकित नहीं है। यह कि आदेश दिनांक 03.06.2015 प्रशासनिक आदेश है जवकि पैमाइस के आधार पर दावा दखलयावी लाना जाना चाहिए। प्रकरण में अप्रार्थीयान की तलवी नहीं कराई गई है। बाला बाला एकपक्षिय आदेश किये गये है। पैमाइस रिपोर्ट दिनांक 06.06.2016 के आधार पर प्रार्थना पत्र पर किये गये आदेश गैरकानूनी है। जिन्हें निरस्त कराये जाने एंव अप्रार्थीयान को सुनवाई का अवसर दिये जाने तव तक कार्यवाही को रोके जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थी घीसा ने जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थीयान की तामील विधिवत हुई थी लेकिन जान वूझ कर अदालत श्रीमान में हाजिर नहीं हुये। अप्रार्थीयान की विधिनुसार एकपक्षिय कार्यवाही की गयी है प्रार्थना पत्र अप्रार्थीयान खारिज किया जावे।

वहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीयान ने अपनी वहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र अप्रार्थीयान खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की वहस पर मनन किया। अप्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर एकपक्षिय आदेश दिनांक 12.08.2008 निरस्त किया जाता है प्रार्थी व अप्रार्थीयान ने निमयुनसार पैमाइस कर पत्थरगढी कराने की सहमति दी है। अतः दोनों पक्षों की उपस्थिति में वादग्रस्त भूमि की पैमाइस व पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार कठूमर को खसरा नम्बर 616–618 वाके ग्राम भोजपुरा तहसील कठूमर पर मौके पर पहुॅच कर दोनो पक्षों की मौजूदगी में विधिनुसार पैमाइस व पत्थरगढी करने हेतु आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 17.05.2018 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner